न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 7 / 2023

1. श्री गौरव माथुर पुत्र भवानी शंकर
2. श्रीमती अंकिता पत्नी श्री गौरव माथुर
निवासीगणः– मकान नं. 402 कमला हाईट्स, चितौड रोड, भीलवाडा।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भवानी शंकर पुत्र स्व. श्री नंदलाल
2. श्रीमती बन्नो माथुर पत्नी श्री भवानी शंकर
निवासीगणः–मकान नम्बर के. 131 रेम्बुल रोड, क्रिश्चनगंज, अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 14.11.2022 अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 03.05.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 14.11.2022, जिसमें "अप्रार्थी (अपीलान्ट) प्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) को सम्पत्ति मकान नम्बर के 131 रेम्बुल रोड क्रिश्चयनगंज में कमरा जो की उक्त सम्पत्ति के भू–तल पर स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा इस कमरे का ताला खोला जाए एवं उक्त कमरे में प्रार्थीगण की आवाजाही में कोई रोक–टोक नहीं की जाए से असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये, उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि न्यायालय भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अन्तर्गत प्रकरण संख्या 16 / 2022 दिनांक 14.11.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कमरा जो कि उक्त सम्पत्ति के भूतल पर स्थित है, अप्रार्थीगण द्वारा इस कमरे का ताला खोला जाये एव उक्त कमरा प्रार्थीगण को सुपुर्द किया जावे के आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध अविधिक रूप से पारित किये । प्रार्थी भवानी शंकर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4,5 व 23 वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अजमेर भरण–पोषण अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण दोनों ही वरिष्ठ नागरिक है तथा अत्यधिक वृद्ध होने के कारण बीमार रहते है। प्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व0 श्री नन्दलाल माथुर द्वारा उक्त सम्पत्ति जिसमें प्रार्थीगण निवास करते है दिनांक 09.05.1961 को जरिये पंजीकृत विकय पत्र कय किया था। श्री नन्दलाल जी का निधन दिनांक 26.02.1986 को हो गया था । श्री नन्दलाल जी के तीन

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

पुत्रीयाँ व दो पुत्र थे। ऐसी स्थिति में श्री नन्दलाल जी की उक्त सम्पति मे तीनो पुत्रीयो व दोनो पुत्रो का समान हिस्सा हुआ । वर्तमान में तीनो पुत्रीयों का विवाह हो चुका है तथा तीनों ही अपने परिवार के साथ अजमेर से बाहर रहती है तथा प्रार्थीगण व प्रार्थी संख्या 1 का भाई महेश दोनों उक्त सम्पत्ति में आधे–आधे भाग में निवास करते है। तीनो बहनों उक्त सम्पत्ति में दोनों भाईयों को रहने की अनुमति दे रखी है किन्तु उक्त सम्पत्ति का अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण इसी बात से नाराज रहते है तथा प्रार्थीगण को मानसिक व शारिरिक रूप से प्रताडित करते है तथा कुछ दिन पहले अप्रार्थीगण ने नीचे के हिस्से के एक कमरें में जबरन अपना ताला लगा दिया तथा पुलिस में भी शिकायतें दर्ज कराई। जिससे प्रार्थीगण को बार–बार थाने के चक्कर लगाने पड रहे है। प्रार्थी संख्या 1 केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल से रिटायर है तथा मात्र पच्चीस हजार रूपये पेंशन प्राप्त करता है। जिससे दोनों प्रार्थीगण का गुजारा नहीं चल पाता है इसलिए अप्रार्थीगण से पृथक–पृथक रूप से कम से कम तीस हजार रूपये मासिक दिलाये जावे। प्रार्थीगण व अन्य परिवारजन द्वारा भी अप्रार्थीगण को काफी समझाया गया परन्तु वह नहीं मान रहे है। इसलिए प्रकरण प्रस्तुत करना पडा। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति दादा जी स्व0 नन्दलाल जी की है तथा सम्पत्ति पर निर्माण भी उनके द्वारा ही कराया गया था, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 का अपने दादा की सम्पत्ति में जरिये विधिक वारिस अधिकार है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 1 की उक्त पेंशन भी अधिक है तथा एक अन्य सम्पत्ति से किराये की आय भी लगभग 10,000:/– प्रतिमाह है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा भी प्रार्थीगण के स्वास्थ्य से सम्बन्धित एक बीमा पॉलिसी भी करा रखी है, जिसकी वार्षिक प्रीमीयम राशि रूपये 12,000/– अप्रार्थीगण द्वारा अदा की जा रही है तथा अप्रार्थीगण सदैव से अपने सभी कर्त्तव्य का निर्वहन करते चले आ रहे है तथा अप्रार्थीगण सदैव ये ही चाहते है कि प्रार्थीगण उनके साथ ही निवास करे जिससे उन्हें प्रार्थीगण की सेवा करने का मौका मिले । दोनो पक्षो की बहस सुनते हुए अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.11.2022 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कमरा जो कि उक्त सम्पत्ति के भूतल पर स्थित है । अप्रार्थीगण द्वारा इस कमरे का ताला खोला जाये एवं उक्त कमरा प्रार्थीगण को सुपुर्द किया जायें। जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ अधिकरण ने इस तथ्यों को पूर्णतः नजर अन्दाज किया है कि उक्त प्रकरण में वर्णित सम्पत्ति अपीलार्थी के दादा नन्दलाल माथुर की क्रय शुदा सम्पत्ति रही है जिनके द्वारा ही सम्पत्ति पर निर्माण कराया गया क्योंकि प्रत्यार्थी/प्रार्थीगण द्वारा उक्त सम्पत्ति दिनांक 09.05.1961 को नन्दलाल जी द्वारा क्रय करना स्वीकार किया है। उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होने से अपीलार्थी का उक्त सम्पत्ति में हिस्सा होता है। उक्त अधिकारों के तहत ही अपीलार्थी का कब्जा उक्त सम्पत्ति में एक कमरे में है। अपीलार्थी संख्या 2 जब शादी करके आई तब से ही उक्त कमरे में ही निवास कर ही थी तथा उसका सारा स्त्रीधन व सामान आदि भी इसी कमरे में प्रारम्भ से रखा हुआ है। सम्पत्ति में अपीलार्थी का संयुक्त अधिकार व कब्जा स्वीकृत है। अधिनस्थ अधिकरण अपने आदेश में राजीनामें/समझाईश बाबत जो कथन किये है वह गलत है। क्योंकि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अपितू अधिकरण द्वारा आक्षेपित आदेश के समान पूर्व में ही दिनांक 16.09.2022 को बिना अपीलार्थी को सुने बिना तथ्यों की जांच किये ही पारित आदेश कर दिया था। इस अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थीगण भरण पोषण हेतु राशि हेतु राशि प्राप्त करने का निवेदन कर सकता है न की सम्पत्ति के हक अधिकारो का, इसी प्रकारण

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

धारा 23 के तहत भी जहॉ अन्तरण किसी लाभ/भरण पोषण प्राप्ति हेतु वरिष्ठ नागरिक द्वारा किया गया है और वह उस प्रकार लाभ/भरण पोषण प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसे अन्तरण के विरूद्ध उक्त धारा के तहत कार्यवाही सक्षम है, जबकि इस प्रकरण में अपीलार्थी अपने सम्पत्ति के पैतृक अधिकारों में काबिल है, जिस अधिकार को प्रत्यार्थी/प्रार्थी द्वारा अन्तरण धारा 23 के अन्तर्गत उल्लेखित बातों में करना कहीं अंकित नहीं किया है। भू–तल पर अपीलार्थी के कमरें के अलावा भी प्रत्यार्थी/प्रार्थीगण के पास दो कमरे, डायनिंग हॉल और प्रथम तल पर दो कमरें है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं ली है और न ही अपीलार्थी को जिरह का अवसर प्रदान किया है। अपील अन्दर मियाद नकल प्राप्ति में लगे समय को छोडकर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जा रही है। अतः न्यायालय भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 16/2022 अवैध व शून्य होने से उसकी पालना अपील के निर्णय तक स्थगित की जावे।

रेस्पोडेन्ट ने सपठित धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति अपीलार्थी ने प्राप्त की। रेस्पोडेन्ट ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अपीलार्थी की ओर प्रथम दृष्टया कानून के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है और झूठी शिकायतें पुलिस में करता रहता है, और रेस्पोडेन्ट के पास आकर उन्हें हैरान व परेशान करता है और विवादित सम्पत्ति में अपने हक व हिस्से की मांग करता है जो कतई गैर कानूनी है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी संख्या 02 श्रीमती बन्नो माथुर गंभीर रूप से बीमार रहती है और अभी 02 माह पूर्व ही जयपुर के ईटनल अस्पताल में ईलाज चला है और अभी 15 अप्रैल को उसे जयपुर जाकर अपना चैकअप करवाना है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण अपीलार्थी के बुढे माँ–बाप है जिनकी अपीलार्थी कोई देख–रेख नहीं करते है और उन्हें हर तरह से हैरान व परेशान करते है। अपीलार्थीगण ने हैरान व परेशान होकर ही अपीलार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उक्त नियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। धारा 16 वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2007 के तहत् वरिष्ठ नागरिक व माता पिता को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त धारा 16 के तहत् माननीय अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सके। जबकि प्रस्तुत अपील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई जो कि रेस्पोडेन्ट के पुत्र व पुत्रवधु है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कोई भी वाद व अपील समय सीमा में है या नहीं इस बिन्दू को न्यायालय सर्वप्रथम तय करेगा। अतः मयाद के बिन्दू पर अपील प्रथम दृष्टया ही अपील समय सीमा के बाहर प्रस्तुत की है जो कि दर्ज रजिस्टर नही हो सकती हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

अपीलार्थी का मुख्यतः कथन है कि जिस सम्पत्ति में निवास कर रहे है वह सम्पत्ति अपीलार्थी के दादा नन्दलाल माथुर की क्रय शुदा सम्पत्ति रही है जिनके द्वारा ही सम्पत्ति पर निर्माण कराया गया है। उक्त सम्पत्ति अपीलार्थी की पुश्तैनी सम्पत्ति है। इस प्रकार प्रकरण में जो धारा 16 के अधीन रेस्पोडेन्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर उक्त अपील का श्रवणाधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं होने से एवं उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने से इसी स्तर से खारिज हेतु निवेदन किया गया। जिसके जवाब में अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील नकल प्राप्ति में लगे समय को छोडकर लगे समय को निर्धारित प्रारूप में हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

तथा मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए उक्त अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने का निवेदन किया तथा अपीलांट द्वारा आगे निवेदन किया गया कि उक्त अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी हाजा न्यायालय में निहित होने के कारण अपीलान्ट द्वारा विध्यानुसार उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है इस प्रकार से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र को इसी स्तर से निरस्त किया जावे। अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया जिसके मध्यनजर हस्तगत प्रकरण धारा 16 से किसी प्रकार से बाधित नहीं है साथ ही मियाद बिन्दु पर अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति विलम्ब से प्राप्त होने से अपील प्रस्तुति में हुए विलम्ब को शुमार किया जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को न्यायहित में निरस्त किया जाकर उक्त अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते है।

हमने उपस्थित उभय पक्षकारान को उक्त अपील बाबत् गुणावगुण पर सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट रेस्पोडेन्टस, के पुत्र–पुत्रवधु है। अपीलान्ट मकान नम्बर के 131 रेम्बुल रोड किश्चयनगंज में कमरा जो की उक्त सम्पत्ति के भू–तल पर स्थित है जिसमें ताला लगा रखा है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने हक एवं अधिकारों की प्राप्ति हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 लगभग 76 व 78 वर्ष के वृद्ध नागरिक होकर जिन्हें अपने मकान मे सुविधानुसार रहने हेतु अपीलांट द्वारा मकान में भूतल पर स्थित कमरे का ताला खोला जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को सुपुर्द किए जाने का आदेश प्रदान किया है जो की विधिवत एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 14.11.22 को विरूद्ध अपीलार्थी की हद तक निरस्त फरमाने का अनुरोध किया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों, तथ्यों एवं उनकी पारिवारिक परिस्थतियों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन उपरान्त अधिनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी,अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2022 न्यायोचित प्रतीत होता है। इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.05.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशं दीप)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर